# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक निगरानी-3198/2018/छतरपुर/भू.रा. सन्

मूलचन्द्र तनय श्री प्रेमा काछी
निवासी चन्द्रपुरा तहसील छतरपुर
जिला छतरपुर म0प्र0 .......निगरानीकर्ता

बनाम

राज्य शासन म0प्र0 .....गैरनिगरानीकर्ता

श्री ........ द्वारा आज दि. 22-5-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दि. 4-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 19/निगरानी/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2018 से परिवेदित होकर।**

**संबंधित प्रकरण क्र. 02/अ-6-अ/2011-12 तहसीलदार छतरपुर 38 /निगरानी/अ-6-अ /2011-12 अपर कलेक्टर छतरपुर**

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है-

01. यह कि भूमि खसरा नं0 8, 9, रकवा कमशः 0.854, 0.737हे0 कुल किता 2 एकत्र रकवा 1.591हे0 स्थित ग्राम चन्द्रपुरा राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर की आराजी है जिस पर आवेदक निगरानीकर्ता लगभग 45 वर्ष से काबिज कास्त होकर कृषि कर रहा है निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि पर करीब 30 वर्ष पहले कुऑ का निर्माण कर लिया है तथा उक्त भूमि पर ही मकान बनाकर निवास कर रहा है।

02. यह कि दिनांक 10.07.2011 वगैर नियमो का पालन किये तहसीलदार छतरपुर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र इस बावत् खारिज कर दिया था कि बंटन पर रोक है जब कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य परविचार नही किया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन न्यायालय में विशेष उपबंध अधिनियम 1984 भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना के अन्तर्गत धारा 03 का आवेदन पत्र था। जिसमं अधीनस्थ न्यायालय को यह जॉच करना थी कि क्या विवादित भूमि पर 02.10.1984 या इसके पूर्व आवेदक कब्जा कर कृषि कार्य कर रहा है और यदि यह प्रमाणित हो जाता कि आवेदक

क्रमशः //2//

(8)

निग० / 3198/2018/ छतरपुर / क०रा०

22-6-18

आवेदक अभि० श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव के द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23/3/18 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय को ~~अभ्य~~ निगरानी के अधिकार न होने के कारण प्रकरण Initial Stage पर ही समाप्त किया है।

आवेदक अभिभाषक उक्त आदेश में दोष (Defect) बता नहीं सके हैं। अतः प्रकरण अग्राह्य किया जाता है।

Noted

22/6

सदस्य